न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या : 107/2023/दावा/बउनवान/रामेश्वर बनाम केदार

जीसीएमएस संख्या : 2023/168

1. रामेश्वर पुत्र श्री लदूरलाल
2. रामावतार पुत्र श्री लदूरलाल
3. रुकमणीबाई पुत्र श्री लदूरलाल
4. किशकिन्धाबाई पुत्री श्री लदूरलाल

जाति मीणा निवासीगण भैरूजी की मूण्डली तहसील मांगरोल

.....वादिगण

बनाम

1. केदार पुत्र छीतर जाति मीणा निवासी मूण्डली
2. कैलाबाई पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली(डिलीट)
3. खेतीलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
4. गिरिजाबाई पुत्री रामप्रताप जाति मीणा निवासी मूण्डली
5. गिरिशा पत्नि अरूण कुमार जाति मीणा निवासी मूण्डली हाल उत्तम कॉलोनी बारां जिला बारां
6. चमेलीबाई पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
7. छोटूलाल पुत्र. पन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
8. जगदीश पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी मूण्डली
9. प्रतापीबाई पुत्री धन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
10. पुष्पाबाई पुत्री धन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
11. बैजनाथ पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
12. बद्रीबाई पत्नि रामप्रताप जाति मीणा निवासी मूण्डली
13. बिरधीलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
14. मांगीलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
15. रामबिलास पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
16. संतोषबाई पुत्री रामप्रताप जाति मीणा निवासी मूण्डली
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 92, 92(ए), 188
राज0 टी0 एक्ट वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 11.12.2023 **निर्णय दिनांक : 06.03.2025**

निर्णय

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि यह कि सैटलमेण्ट जमाबन्दी ग्राम रायथल सम्वत 2044–63 के खाता संख्या 333 पर्चा संख्या 313 मे खसरा नंबर 859 रकबा 0.57, खसरा नंबर 860 रकबा 0.45

Scanned by CamScanner

हे०, ख0नं0 861 रकबा 0.72 हे0 कुल 3 किता कुल रकबा 1.74 हेक्टेयर आराजी खातेदार धन्ना पन्ना पुत्र खेमा हिस्सा 2/3, लटूर केदार पुत्र छीतर व पानाबाई बेवा छीतर हिस्सा 1/3, निहित है।

2. यह कि उपरोक्त वर्णित राजस्व रिकार्ड में लटूर, केदार पुत्रगण छीतर व पानाबाई बेवा छीतर हिस्सा 1/3 का ही विवाद है। धन्ना, पन्ना पुत्रगण खेमा हिस्सा 2/3 का कोई विवाद नहीं है इसलिए यह वाद मात्र 1/3 हिस्से के लिए ही प्रतिवादी केदार व प्रतिवादी कम 5 गिरिशाबाई के विरूद्ध ही पेश किया जा रहा है क्योंकि शेष प्रतिवादीगण कम 2,3,4 व 6 लगायत 17 मृतक धन्ना, पन्ना के वारिसान हैं और उनकी आराजी से वादीगण को कोई मतलब नही है वे अपने 2/3 हिस्से पर काबिज काश्त है और वादीगण अपने पिता लटूर के 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है। उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इसलिए पक्षकार बनाया गया है क्योंकि ये राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार है लेकिन इस वाद में इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

3. यह कि वादीगण के परिवार का सजरा इस प्रकार है:–

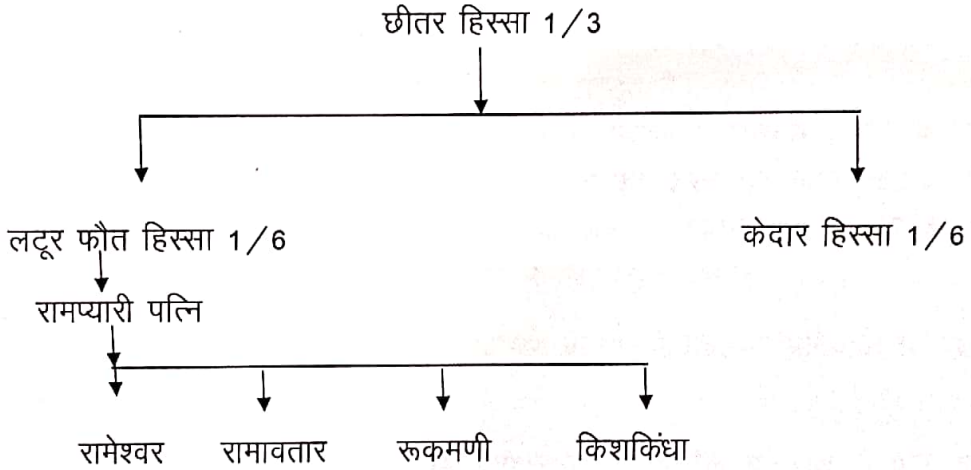

उपरोक्त सजरा देखने से ही स्पष्ट है कि मृतक छीतर का हिस्सा 1/3 था और मृतक छीतर के दो पुत्र लटूरलाल और केदार थे जिनका प्रत्येक का हिस्सा 1/6, 1/6 है क्योंकि लटूर की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है और लटूर की मृत्यु के बाद उसकी माता पानाबाई की भी मृत्यु हो चुकी है तथा दोनों की मृत्युपरान्त इन्तकाल लटूर, केदार पिसरान छीतर के नाम दर्ज किया गया है। लटूर भी फौत हो चुका है। लटूर की मृत्यु दिनांक 6/3/2018 को व उसकी धर्मपत्नि रामप्यारी की मृत्यु दिनांक 09/09/2018 को हो चुकी है। वादीगण मृतक के वारिसान है।

4. यह कि इन्तकाल नंबर 197 धन्ना व पन्ना की मृत्युपरान्त जो दर्ज किया गया उसमें भी वादीगण के पिता लटूर का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज हो रहा है लेकिन बाद के राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं किया गया और खाते से विलोपित कर दिया गया। मात्र संपूर्ण 1/3 हिस्से का सहखातेदार केदार पुत्र छीतरलाल को बना दिया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। वर्तमान में भी वादीगण अपने स्वर्गीय पिता लटूरजी के 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है और वर्तमान मे सोयाबीन की फसल बो रखी है जबकि केदारजी ने अपना 1/6 हिस्सा प्रतिवादी कम 5 को जर्ये रजि० विकय पत्र बेचान कर दिय है और बेचान के पश्चात प्रतिवादी कम 5 के नाम इंतकाल दर्ज हो गया है तथा प्रतिवादी कम 5 आराजी पर काबिज काश्त होकर फसल

Scanned by CamScanner

पैदा कर रही है इसलिए राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2076 के खाता संख्या नया 313 में प्रतिवादी कम 1 का किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा शेष नहीं रहता है।

5. यह कि प्रतिवादी कम 1 के नाम वर्तमान में 1/6 हिस्सा दर्ज हो रहा है जो कि वादीगण के हिस्से की आराजी है क्योंकि वादीगण के पिता का नाम खाते से विलोपित करने के पश्चात यह आराजी प्रतिवादी कम 1 के नाम ही दर्ज कर दी गई है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है और एक स्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करना आवश्यक है कि प्रतिवादी कम 1 बाद पत्र की गद नंबर 1 में वर्णित आराजी मे अपना 1/6 हिस्से का रहन बेचान न करे, आरजी को खुर्द बुर्द न करें।
6. यह कि वादीगण अपने पिता के समय से ही वाद पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित आराजी कुल 1.74 हेक्टेयर के 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है और आज भी काश्त कर रहे है। मृतक ख्शातेदार लटूर के स्थान पर वादीगण अपने आपको खातेदार घोषित कराने के अधिकारी एंव नालिशी है तथा प्रतिवादी कम 1 का नाम खाते से विलोपित करा पाने के भी अधिकारी है क्योंकि प्रतिवादी कम 1 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी कम 5 को जर्ये रजि० विकय पत्र बेचान कर दिया है।
7. यह कि इस सम्माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
8. यह कि वाद अवधि मध्य उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।
9. यह कि वाद कारण माह जून 2023 के अन्तिम सप्ताह में उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी कम 1 ने वादीगण से कहा कि अपना हिस्सा काश्त करने मत जाना क्योंकि वह मेरे नाम दर्ज हो रहा है। कहने पर तथा माननीय जिला कलक्टर महोदय बारां को दिनांक 11/8/2023 को रजि० नोटिस प्रेषित करने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादी कम 1 निम्न आशय की डिकी सादर पारित की जावेः–

(अ) हाल खाता संख्या 313 पुराना 279 ग्राम रायथल तहसील मांगरोल में दर्ज आराजी खसरा नंबर 859 रकबा 0.57 हे० खसरा नंबर 860 रकबा 0. च45 हे0 एवं खसरा नंबर 861 रकबा 0.72 हे० कुल 3 किता रकबा 1.74 हेक्टेयर में से प्रतिवादी कम 1 केदार पुत्र छीतर हिस्सा 1/6 जाति मीणा साकिन मूण्डली का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम खाते मे 1/6 हिस्सा दर्ज करते हुए वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे ।

(ब) एक स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की भी पारित की जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी हिस्सा 1/6 में प्रतिवादी कम 1 किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें, उसमें बलपूर्वक प्रवेश न करे तथा वादीगण को शांतिपूर्वक तरीके से काश्त करने देवे।

(स) अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान करें।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण 11.12.2023 को दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन् प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1, 3 ता 16 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी कम 1, 3 ता 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

साक्ष्यवादी में वादी कम 1 द्वारा स्वयं का लिखित साक्ष्य शपत्र पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

Scanned by CamScanner

वकील वादी द्वारा प्रदर्श 1 सैटलमेन्ट जमाबंदी सम्वत् 2044–63 खाता संख्या 333 ग्राम मूण्डली तहसील मांगरोल, प्रदर्श 2 जमाबंदी ग्राम मूण्डली सम्वत् 2049–52 खाता सं. 126, प्रदर्श 3 इंतकाल नं. 197 दिनांक 18.07.94 ग्राम मूण्डली, प्रदर्श 4 जमाबंदी सम्वत् 2053–56, 2057–60, 2061–64, 2065–68, प्रदर्श 5 हाल जमाबंदी ग्राम मूण्डली खाता सं. 313 प्रदर्श 6 नोटिस श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रदर्श करवाए।

बहस वकील एकपक्षीय सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली मय फर्द दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन, अध्ययन एवं मनन करने पर पाया कि इन्तकाल नंबर 197 धन्ना व पन्ना की मृत्युपरान्त जो दर्ज किया गया उसमें भी वादीगण के पिता लटूर का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज हो रहा है लेकिन बाद के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं किया गया और खाते से विलोपित कर दिया गया। मात्र संपूर्ण 1/3 हिस्से का सहखातेदार केदार पुत्र छीतरलाल को बना दिया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। वर्तमान में भी वादीगण अपने स्वर्गीय पिता लटूरजी के 1/6 हिस्से पर काबिज काश्त है जबकि केदारजी ने अपना 1/6 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 5 को जरिये रजि० विकय पत्र बेचान कर दिया हैं। इसलिए राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2076 के खाता संख्या नया 313 में प्रतिवादी क्रम 1 का किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा शेष नहीं रहता है। प्रतिवादी क्रम 1 के नाम वर्तमान में 1/6 हिस्सा दर्ज हो रहा है जो कि वादीगण के हिस्से की आराजी है क्योंकि वादीगण के पिता का नाम खाते से विलोपित करने के पश्चात यह आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के नाम ही दर्ज कर दी गई है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादीगण वादपत्र की विवादित आराजी ग्राम रायथल तहसील मांगरोल खाता संख्या 313 पुराना 279 आराजी खसरा नंबर 859 रकबा 0.57 हे० खसरा नंबर 860 रकबा 0.45 हे0 एंव खसरा नंबर 861 रकबा 0.72 हे० कुल 3 किता रकबा 1.74 हे0 हिस्सा 1/6 में स्वयं को खातेदार घोषित करवाने एवं पृथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन, पत्रावली एवं दस्तावेजात के ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं वकील एकपक्षीय बहस के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आराजी ग्राम रायथल तहसील मांगरोल खाता संख्या 313 पुराना 279 आराजी खसरा नंबर 859 रकबा 0.57 हे० खसरा नंबर 860 रकबा 0.45 हे0 एवं खसरा नंबर 861 रकबा 0.72 हे० कुल 3 किता रकबा 1.74 हे0 हिस्सा 1/6 प्रतिवादी क्रम 1 केदार के हिस्से की आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी से प्रतिवादी क्रम 1 का नाम डिलीट कर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार, मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं। उक्त आशय की डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय बइजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या : 107 / 2023 / दावा / बउनवान / रामेश्वर बनाम केदार

जीसीएमएस संख्या : 2023 / 168

निर्णय दिनांक :– 06.03.2025

बउनवानः–

1. रामेश्वर पुत्र श्री लदूरलाल
2. रामावतार पुत्र श्री लदूरलाल
3. रुकमणीबाई पुत्र श्री लदूरलाल
4. किशकिन्धाबाई पुत्री श्री लदूरलाल

जाति मीणा निवासीगण भैरूजी की मूण्डली तहसील मांगरोल

.....वादिगण

बनाम

1. केदार पुत्र छीतर जाति मीणा निवासी मूण्डली
2. कैलाबाई पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली(डिलीट)
3. खेतीलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
4. गिरिजाबाई पुत्री रामप्रताप जाति मीणा निवासी मूण्डली
5. गिरिशा पत्नि अरूण कुमार जाति मीणा निवासी मूण्डली हाल उत्तम कॉलोनी बारां जिला बारां
6. चमेलीबाई पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
7. छोटूलाल पुत्र. पन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
8. जगदीश पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी मूण्डली
9. प्रतापीबाई पुत्री धन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
10. पुष्पाबाई पुत्री धन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
11. बैजनाथ पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
12. बद्रीबाई पत्नि रामप्रताप जाति मीणा निवासी मूण्डली
13. बिरधीलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
14. मॉगीलाल पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
15. रामबिलास पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासी मूण्डली
16. संतोषबाई पुत्री रामप्रताप जाति मीणा निवासी मूण्डली
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 92, 92(ए), 188
राज0 टी0 एक्ट वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वादिगण के अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.03.2025 को अंजना सहरावत पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते घोषणा पेश होने पर आदेश किया जाता

न्यायालय उपखण्ड अ...

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

है और डिक्री दी जाती है कि आराजी ग्राम रायथल तहसील मांगरोल खाता संख्या 313 पुराना 279 आराजी खसरा नंबर 859 रकबा 0.57 हे० खसरा नंबर 860 रकबा 0.45 हे0 एवं खसारा नंबर 861 रकबा 0.72 हे० कुल 3 किता रकबा 1.74 हे0 हिस्सा 1/6 प्रतिवादी कम 1 केदार के हिस्से की आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी से प्रतिवादी कम 1 का नाम डिलीट कर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार, मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं। यह आदेश आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

अंजना सहरावत(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पअर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा			बबत इजराय हुकमनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner